



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2010/आषाढ़ 4, 1932

No. 164]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2010/ASADHA 4, 1932

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2010

विषय : लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 का संशोधन ।

फा. सं. ले.प. (नियम)/15-2009.—नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम लेखा तथा लेखापरीक्षा (संशोधन) विनियम, 2010 है ।
(2) ये विनियम, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 में :—
(क) विनियम 99 के शीर्षक तथा प्रथम पंक्ति में आए शब्द "लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और" हटा दिए जाएं ।
(ख) अध्याय 9—"सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा" के अंतर्गत उपशीर्षक (ज) तथा उसके नीचे विनियम 144 के लिए निम्नलिखित उपशीर्षक तथा विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"(ज) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा
144 निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विनियमों का अनुप्रयोग
अध्याय 7 में विहित विनियम राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।"
(ग) विनियम 145 हटा दिया जाए ।

चंद्र मोहन, निदेशक (लेखापरीक्षा)

[विज्ञापन III/4/87/10-असा.]

टिप्पणः— लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 20-11-2007 में प्रकाशित किए गए थे ।

* No-22/16
22.07.2010

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2010

Sub. : Amendment of Regulations on Audit and Accounts, 2007.

F. No. Audit (Rules)/15-2009.—In exercise of powers conferred by Section 23 of CAG (DPC) Act, 1971, the Comptroller and Auditor General hereby makes the following Regulations further to amend the Regulations on Audit and Accounts, 2007, namely :—

1. (1) These Regulations may be called Regulations on Audit and Accounts (Amendment), 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Regulations on Audit and Accounts, 2007 :—
 - (a) in Regulation 99, the words “audit certificate and” appearing in the heading and the words “audit certificate and the” appearing in the second line shall be deleted.
 - (b) for sub-heading (h) under Chapter 9—Audit of Government Companies and Regulations 144 thereunder the following shall be substituted namely —

“(h) Performance Audit of State PSEs
144 Application of Regulations for performance audit
The Regulations prescribed in Chapter 7 shall apply to performance audit of state public sector enterprises mutatis mutandis”.
 - (c) Regulation 145 shall be deleted.

CHANDRA MOHAN, Director (Audit)

[ADVT III/4/87/10-Exty.]

Note :— The Regulations on Audit and Accounts were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 20-11-2007.